उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या।/19269/2025 -कार्य/चौदह-पाकालि/2025 दिनांक 29-07-2025

प्रबंध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा
एवं केस्को-कानपुर।

विषयः- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों के साथ व्यापार करने वाली फर्मों को कतिपय कारणों से प्रतिबन्धित (Debar) करने/काली सूची में डालने (Blacklist) संबंधी प्रक्रिया के संबंध मे।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों के साथ व्यापार करने वाली फर्मों को कतिपय कारणों से प्रतिबन्धित (Debar) करने/काली सूची (Blacklist) में डालने हेतु कारपोरेशन स्तर से निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं०-2001-कार्य/चौदह-पाकालि/2022-10-के/2021 दिनांक 03 सितम्बर, 2022 एवं सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-2160-कार्य/चौदह-पाकालि/2024-10-के/2021 दिनांक 05 नवम्बर, 2024 के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:-

1. किसी फर्म को प्रतिबन्धित (Debar) करने/काली सूची (Blacklist) में डालने की प्रक्रिया को प्रारम्भ (Initiate) करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट आधार स्थापित किया जाये।
2. सम्बन्धित फर्म को लिखित रूप में (प्रथमतः अधिकृत email के माध्यम से) आरोप से अवगत कराते हुये प्राकृतिक न्याय के दृष्टिगत जवाब देने का समुचित अवसर अवश्य दिया जाये।
3. फर्म द्वारा दिये गये उत्तर का परीक्षण/विश्लेषण कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाये।
4. व्यक्तिगत सुनवाई प्रबन्ध निदेशक अथवा निदेशक अथवा सम्बंधित अधिकारी, जिसके हस्ताक्षर से Debarment/Blacklisting का आदेश निर्गत होना हो, के स्तर पर होनी चाहिए। सुनवाई की कार्यवाही का अंकन व उपस्थिति का विवरण अन्तिम आदेश में होना चाहिए।
5. समस्त ऐसे प्रकरण जहाँ कि किसी भी फर्म को Debar/Blacklisting करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा रहा है वहाँ पर आदेश स्वतः स्पष्ट (Speaking Order) होना

चाहिए, जिसमें कार्यवाही का आधार, व्यक्तिगत सुनवाई का पूर्ण अवसर देने का उल्लेख, प्राप्त उत्तर/प्रतिवेदन/सुनवाई में किये गए कथन का विश्लेषण एवं निर्णय का आधार स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित होना चाहिए।

6. जिन प्रकरणों में कारपोरेशन स्तर से अनुमोदन वांछित है उन प्रकरणों में डिस्कॉम स्तर पर फर्म द्वारा दिये गये उत्तर का परीक्षण/विश्लेषण कर एवं प्रबन्ध निदेशक के स्तर से सुनवाई करते हुये सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली स्पष्ट संस्तुति एवं स्वतः स्पष्ट आदेश (Speaking Order) के आलेख के साथ कारपोरेशन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। अनुमोदनोपरान्त विद्युत वितरण निगम के स्तर से आदेश बिना किसी विलम्ब के तत्काल निर्गत किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

23/7/25

(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक

संख्या-I/19269/2025 (1) कार्य/चौदह-पाकालि/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण निगम एवं केस्को-कानपुर।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण निगम एवं केस्को-कानपुर।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड कराने हेतु।
5. कट फाइल।

23/07/25

(विनोद कुमार मिश्र)
अपर सचिव (प्रथम)